उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref No. : H 64372 / C–7 / Air-97 / 2021 **Date : 12.08.2021**

To,

The Registrar General,
Principal Bench,
Hon'ble National Green Tribunal,
Copernicus Marg, New Delhi.

Sub.: Regarding submission of compliance and Action Taken Report in the matter of No.1007/2019 in the matter of Priyanka Modern Sr. Secondary School.

Sir,

In compliance of the direction passed by Hon'ble National Green Tribunal on 04-08-2020 in the matter of No.1007/2019 in the matter of Priyanka Modern Sr. Secondary School the complince and Action Taken Report is hereby attached with a request to put up before Hon'ble National Green Tribunal for kind perusal.

Yours Sincerely,

Encl: As Above

12.8.21
(N.K. Chauhan)
Chief Environment Officer
Circle-7

T.C. 12 - V, Vibhuti Khand
Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone:2720831,2720828,2720691,2720681
Email: info@uppcb.com वेबसाइट: www.uppcb.com

गोमतीनगर, लखनऊ-226010 टी. सी. – 12 वी, विभूति खण्ड
दूरभाष-272831, 2720828, 2720691, 2720681
फैक्स 0522–2720764 Fax: 0522 – 2720764 ई–मेल- info@uppcb.com
Web Site: www.uppcb.com

The Compliance Report

In

The Matter of OA. No.1007/2019
Hon'ble NGT OrderDated 04.08.2020,

Priyanka Modern Sr. Secondary School

vs

Uttar Pradesh Pollution Control Board &Ors.

Uttar Pradesh Pollution Control Board, Lucknow

12.8.21
CEO
(एन0के0 चौहान)
मुख्य पर्यावरण अधिकारी,वृत्त-3

AEE
UPPCB

C:\Users\abc\Downloads\Action taken report dated 11-08-2021 (1).docx

The Compliance Report in the Matter of O.A. No.1007/2019 Hon'ble NGT Order Dated 04.08.2020, Priyanka Modern Sr. Secondary Schoolvs Uttar Pradesh Pollution Control Board &Ors.

Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi in O.A. No.1007/2019 in the matter of Priyanka Modern Sr. Secondary School vide Order Dated 04.08.2020 vs Uttar Pradesh Pollution Control Board &Ors vide Order Dated 04.08.2020 passed following directions

"Let the State PCB ensure compliance of the directions issued to the industrial unit. The State PCB may also assess and recover compensation for violation of environmental norms, following due process of law. Let further report in the matter be filed before the next date by email at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/ OCR support PDF and not in the form of image PDF".

In compliance of the above directions of Hon'ble NGT, inspection, stack and ambient air quality montoring of Sugar and Distillery Unit of Dhampur Sugar Mills Ltd Dhampur, Bijnor conducted on 12-02-2021, 19-02-2021 and 09-06-2021 by officials of UP Pollution Control Board.

During above inspections UPPCB verified the compliance of the diections issued to M/s Dhampur Sugar MillsLtd., (Sugar and Distillery Unit), Dhampur, Bijnor under section 31 (A) of the Air (Prevention and control of Pollution) Act, 1981vide letter no. H46779/C-7/Water-70/2020 dated 24.01.2020. Compliance made by the unit is as follows:-

1- M/s Dhampur Sugar MillsLtd., (Sugar Unit), Dhampur, Bijnor has valid consent to operate till 31.12.2024 and 31.12.2021 under Water Act and Air Act respectively.
2- M/s Dhampur Sugar Mills Ltd., (Distillery Unit), Dhampur Bijnor has valid consent to operate till 31.12.2021 and 31.12.2021 under Water Act and Air Act respectively.
3- M/s Dhampur Sugar MillsLtd., (Sugar Unit and Distillery Unit), Dhampur, Bijnor has made fencing wall towards Priyanka Moder School.
4- M/s Dhampur Sugar MillsLtd., (Sugar Unit and Distillery Unit), Dhampur, Bijnor unit has covered the conveyer belt for the transporation of bagasses for the control of dust emissions.
5- M/s Dhampur Sugar MillsLtd., (Distillery Unit), Dhampur, Bijnor which is near to Priyanka Modern School has installed water sprinkler for dust supperession.
6- The comparative chart showing the Stack Monitoring result done by UPPCB w.r.t 2019 to 2021 is tabulated as below:-

Stack Monitoring	Name of the plant/ Stack Identification	Date of Monitoring	SPM Result (mg/Nm^3)	Standard Limit mg/Nm^3
	Sugar Unit Boiler (170 TPH X 2)	11-12-2019	86.42	150
		19-02-2021	91.11	
	Distillery Unit Slop Fired Boiler (75 TPH)	18-12-2019	48.07	50
		12-02-2021	44.87	
		09-06-2021	45.62	

7- The comparative chart showing the Ambiant Air quality monitoring result done by UPPCB from 2020 to 2021w.r.t. Particulate Matter-10 is tabulated as below:-

SN.	Location	Date of monitoring	PM_{10} ($\mu g/m^3$)	Date of Monitoring	PM_{10} ($\mu g/m^3$)	Date of Monitoring	PM_{10} ($\mu g/m^3$)
1	Priyanka modern School Campus	05.01.2020	197.96	12.02.2021	134.67	09-06-2021	91.98
2	Dhampur Sugar Mills Ltd., Dhampur, Administrative Building	05.01.2020	159.66	12.02.2021	168.84	09-06-2021	94.94
3	Dhampur Sugar Mills Ltd., Dhampur,Near DM Plant	05.01.2020	182.12	12.02.2021	180.38	09-06-2021	97.91
4	Dhampur Sugar Mills Ltd., Dhampur, Distillery ETP	05.01.2020	132.13	12.02.2021	143.9	09-06-2021	97.96
	Standards ($\mu g/m^3$)		100		100		100

G.C. [signature] A.E.E. UPPCB

[signature] 12.8.21

(एन0के0 चौहान)

(CEO) मुख्य पर्यावरण अधिकारी,वृत्त-3

Conclusion :

Emission emitted from the stacks of the sugar and distillery units of M/s Dhampur Sugar Ltd., Dhampur, District - Bijnore were found to be complying with the norms during monitoring dated 11-12-2019, 19-02-2021, 18-12-2019, 12-02-2021 and 09-06-2021 done by UPPCB.

It is evident from the above ambient air monitoring that the quality of ambient air were found within norms on 09-06-2021, the sugar unit was closed due to off season on 30-05-2021 and after the closure of the sugar unit the ambient air quality was found within norms . The unit has also made compliance with the directions of UPPCB related to fencing wall, water sprinkler and covering of converyer belt for baggasse transportation.

Action Taken by UPPCB :

1- In the matter of O.A. No. 539/2019 Adil Ansari vs M/s Dhampur Sugar Mills Ltd. & Others, UPPCB vide letter dated 22-06-2021 has imposed environmental compensation of Rs. 35,40, 000/- (Rs. Thirty Five Lakh Forty Thousand Only) against M/s Dhampur Sugar MillsLtd., (Sugar Unit), Dhampur, Bijnor for the non-compliance of provisions of Water (Prevention and Control of Pollution) Act 1974 (**Annexure-1).** The unit has deposited the environmental compensation of Rs. 35,40,000/- (Rs. Thirty Five Lakh Forty Thousand Only) on 20-07-2021.

2- In the matter of O.A. No. 539/2019 Adil Ansari vs M/s Dhampur Sugar Mills Ltd. & Others, UPPCB has filed compliant case number 3306 of 2021 on 27-07-2021 against M/s Dhampur Sugar Mills Ltd., (Suagr Unit) DhampurBijnore Under Section-43 of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 in the Court of Special Judicial Magistrate (Water & Air Pollution Control), Lucknow.

3- In the matter of O.A. No. 539/2019 Adil Ansari vs M/s Dhampur Sugar Mills Ltd. & Others, UPPCB vide letter dated 20-07-2021 has imposed environmental compensation of Rs. 65,70,000/- (Rs. Sixty Five Lakh Seventy Thousand Only) against M/s Dhampur Sugar MillsLtd., (Distillery Unit), Dhampur, Bijnor for the non-compliance of provisions of Water (Prevention and Control of Pollution) Act 1974 **Annexure-2.**

4- In the above O.A. No. 1007/2019 in the matter of Priyanka Modern Sr. Secondary School, UPPCB vide letter dated 22-06-2021 has issued notice to M/s Dhampur Sugar MillsLtd., (Sugar Unit), Dhampur, Bijnor for imposition of Environmental Compensation of Rs. 55,35,000/- (Rs. Fifty Five Lakh Thirty Five Thousand Only)**Annexure-3.**

5- In the above O.A. No. 1007/2019 in the matter of Priyanka Modern Sr. Secondary School, UPPCB vide letter dated 12.08.2021 has imposed Environmental Compensation of Rs. 55,35,000/- (Rs. Fifty Five Lakh Thirty Five Thousand Only) against M/s Dhampur Sugar MillsLtd., (Sugar Unit), Dhampur, Bijnor for imposition of **Annexure-4.**

G.C. [signature] 12/8/21
AEE
UPPCB.

[signature]
12.8.21
CEO
(एन0के0 चौहान)
मुख्य पर्यावरण अधिकारी,वृत्त-3

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या– H62603/ सी-7/जल-70/21 दिनांक 22.06.21

सेवा में, पंजीकृत

उद्योग मैसर्स धामपुर शुगर मिल्स लिमिटेड (शुगर इकाई),
धामपुर, बिजनौर।

विषयः–बोर्ड पत्र संख्या एच61711/जल–70/2021 दिनांक 13.04.2021 द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 33ए सापठित 27 (2) के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस के क्रम मे उद्योग के विरूद्ध रूपये 35,40,000/– मात्र की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के संबंध मे।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र संख्या एच61711/जल–70/2021 दिनांक 13.04.2021 द्वारा उद्योग के विरूद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–33ए सपठित 27(2) के अन्तर्गत बोर्ड के पत्र दिनांक 27.03.2020 द्वारा निर्गत सहमति जल खण्डित करते हुए बन्दी आदेश जारी किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किये गये तथा संयुक्त निरीक्षण दिनांक 02.02.2021 में पाये गये उल्लंघन के दृष्टिगत केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नई दिल्ली द्वारा जारी गाईड लाइन के अनुसार उक्त उल्लंघन का समाधान किये जाने की तिथि तक रूपये 30,000/– प्रति दिन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के संबंध में नोटिस प्रेषित किया गया।

उद्योग के पत्र दिनांक 31.05.2021 द्वारा सूचित किया गया है कि उद्योग का गन्ना पेराई सत्र 31.05.2021 को समाप्त हो गया है। क्षेत्रीय कार्यालय उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजनौर के अधिकारियों द्वारा उद्योग मैसर्स धामपुर शुगर मिल्स लिमिटेड (शुगर इकाई), धामपुर बिजनौर का अद्यतन निरीक्षण दिनांक 09.06.2021 को किया गया। उक्त निरीक्षण मे पाया गया कि उद्योग द्वारा 220 के0एल0डी0 क्षमता का एस0टी0पी0 स्थापित किया गया है तथा हाई प्रेशर ब्यॉलर हेतु कन्डनसेट पॉलीशिंग यूनिट एवं आर ओ मैमबेरेन (क्षमता 72 घन मीटर प्रति घंटा) की स्थापना की गई है। क्षेत्रीय अधिकारी उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजनौर द्वारा प्रेषित संस्तुति को दृष्टिगत रखते हुए सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न निर्देश जारी किये जाते है–

1. यह कि उद्योग मैसर्स धामपुर शुगर मिल्स लिमिटेड (शुगर इकाई), धामपुर बिजनौर के विरूद्ध पूर्व निरीक्षण दिनांक 02.02.2021 से इकाई के गन्ना पेराई सत्र समाप्ति दिनांक 31.05.2021 तक कुल उल्लंघन दिवस 118 हेतु रूपये 30,000/– प्रति दिन की दर से रूपये 35,40,000/– मात्र की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधीरोपित की जाती है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं0–701502010002104 आई0एफ0एस0 कोड–UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

......2/–

टी. सी. – 12 वी, विभूति खण्ड
गोमतीनगर, लखनऊ-226010
दूरभाष-272831, 2720828, 2720691, 2720681
फैक्स 0522–2720764 Fax: 0522 – 2720764 ई–मेल- info@uppcb.com
Web Site: www.uppcb.com

T.C. 12 - V, Vibhuti Khand
Gomti Nagar, Lucknow - 226010
Phone:2720831,2720828,2720691,2720681
Email: info@uppcb.com वेबसाइट: www.uppcb.com

(2)

2\. यह कि उद्योग मैसर्स धामपुर शुगर मिल्स लिमिटेड (शुगर इकाई), धामपुर बिजनौर द्वारा उक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रूपये 35,40,000/- निर्धारित समयाविधि मे जमा किये जाने की स्थिति मे बोर्ड पत्र संख्या एच 61711/जल-70/2021 दिनांक 13.04.2021 द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 33ए सापठित 27 (2) के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस पर गुणदोष के आधार पर निर्णय लिया जायेगा।

भवदीय

(अमित चन्द्रा)
मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपिः क्षेत्रीय अधिकारी उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बिजनौर को इस निर्देश के साथ कि उक्त निर्देशों के क्रम उद्योग का निरीक्षण करते हुए ससमय निरीक्षण आख्या स्पष्ट संस्तुति सहित बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करे।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या– H63682/सी-7/जल-105/कारणबताओ/21 दिनांक 20/7/21

सेवा में,

मेसर्स धामपुर शुगर मिल्स लिमिटेड (डिस्टलरी यूनिट),
धामपुर, बिजनौर।

विषयः मैसर्स धामपुर शुगर मिल्स लिमिटेड, (डिस्टलरी यूनिट), धामपुर, जिला–बिजनौर को बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2021 द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 यथासंशोधित की धारा 33ए सपठित 27 (2) के अर्न्तगत जारी कारण बताओ नोटिस के क्रम मे पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के संबंध मे।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र संख्या एच57268/सी–7/जल–105/2021 दिनांक 12.01.2021 द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 33–ए सपठित 27 (2) के अन्तर्गत उद्योग के विरूद्ध जारी कारण बताओ नोटिस जारी का संज्ञान ले, जिसके द्वारा दिनांक 02.11.2020 में पाये गये उल्लंघन के दृष्टिगत उक्त उल्लंघन का समाधान किये जाने की तिथि तक रूपये 30,000/– प्रति दिन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु नोटिस प्रेषित किया गया।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नई दिल्ली द्वारा जारी निर्देशो के क्रम से थर्ड पार्टी द्वारा दिनांक 24.02..2021 को मेसर्स धामपुर शुगर मिल्स लिमिटेड (डिस्टलरी यूनिट), धामपुर, बिजनौर के क्षेत्रार्न्गत आच्छादित एकरा नाला का सर्वेक्षण किया गया। उक्त सर्वेक्षण मे नाले के अपस्ट्रीम मे कलर 37 हैजन, टी0एस0एस0 124 मि0ग्रा0/लीटर, सी0ओ0डी0 272 मि0ग्रा0/लीटर, बी0ओ0डी0 65 मि0ग्रा0/लीटर एवं डाउनस्ट्रीम मे कलर 272 हैजन, टी0एस0एस0 208 मि0ग्रा0/लीटर, सी0ओ0डी0 800 मि0ग्रा0/लीटर, बी0ओ0डी0 280 मि0ग्रा0/लीटर पाये गये।

उद्योग के अद्यतन निरीक्षण दिनांक 09.06.2021 के दौरान एकरा नाला के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम का अनुश्रवण किया गया। अपस्ट्रीम मे बी0ओ0डी0 120 मि0ग्रा0 प्रति लीटर, सी0ओ0डी0 288 मि0ग्रा0 प्रति लीटर, टी0एस0एस0 126 मि0ग्रा0 प्रति लीटर तथा डाउनस्ट्रीम मे बी0ओ0डी0 130 मि0ग्रा0 प्रति लीटर, सी0ओ0डी0 296 मि0ग्रा0 प्रति लीटर, टी0एस0एस0 132 मि0ग्रा0 प्रति लीटर पाये गये।

उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए सक्षम अधिकारी के अनुमति से बोर्ड के पत्र संख्या एच57268/सी–7/जल–105/2021 दिनांक 12.01.2021 द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 33ए सपाठित 27 (2) के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस के क्रम मे दिनांक 02.11.2020 से दिनांक 09.06.2021 तक कुल दिवस 219 हेतु रूपये 30,000/– प्रति दिन की दर से रूपये 65,70,000/– की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं0–701502010002104 आई0एफ0एस0 कोड–UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रूपये 65,70,000/– बोर्ड मे जमा किये जाने उपरान्त उक्त कारण बताओ नोटिस दिनांक 12.01.2021 पर गुणदोष के आधार पर निर्णय लिया जायेगा।

भवदीय

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
वृत्त–7

प्रतिलिपिः क्षेत्रीय अधिकारी उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बिजनौर को इस निर्देश के साथ की उक्त निर्देशों के क्रम उद्योग का निरीक्षण करते हुए ससमय निरीक्षण आख्या स्पष्ट संस्तुति सहित बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करे।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
वृत्त–7

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या- H62604, / सी-7 / वायु-97 / 21 दिनांक 22.06.21

पंजीकृत

सेवा में,

उद्योग मैसर्स धामपुर शुगर मिल्स लिमिटेड (शुगर इकाई),
धामपुर, बिजनौर।

विषयः–उद्योग द्वारा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था मानको के अनुरूप न रखे जाने एवं परिवेशीय वायु गुणता का मान निर्धारित मानकों से अधिक पाये जाने के दृष्टिगत उद्योग के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु नोटिस।

यह कि मैसर्स धामपुर शुगर मिल्स (शुगर यूनिट), धामपुर बिजनौर वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि मैसर्स धामपुर शुगर मिल्स (शुगर यूनिट एवं आसवनी यूनिट) धामपुर, बिजनौर से सम्बधित ओ0ए0 संख्या 1000/20019 प्रियंका मॉर्डन सिनियर सैकेण्ड्री स्कूल बनाम उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य में पूर्व पारित आदेश दिनांक 13.11.2019 द्वारा जारी निर्देशो के क्रम में उपजिलाधिकारी धामपुर बिजनौर, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी बिजनौर की संयुक्त समिति द्वारा उक्त इकाईयों एवं स्कूल का संयुक्त निरीक्षण दिनांक 10.12.2019 को किया गया। उपरोक्त निरीक्षण को दृष्टिगत रखते हुए बोर्ड के पत्र संख्या एच 46779/सी–7/जल–70/2020 दिनांक 24.01.2020 द्वारा मैसर्स धामपुर शुगर मिल्स (शुगर यूनिट एवं आसवनी यूनिट) धामपुर, बिजनौर को मानकों के अनुरूप पर्यावरणीय परिवेशीय वायु गणुता रखे जाने हेतु वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31ए के अन्तर्गत निर्देश जारी किये गये।

यह कि माननीय अधिकरण द्वारा उक्त ओ0ए0 संख्या 1007/2019 में पारित आदेश दिनांक 04.08.2020 में बोर्ड द्वारा की गई कार्यवाही एवं समिति की रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए निम्न आदेश जारी किये गये–

"3. Learned counsel for the State PCB states that compliance of directions issued to the industrial unit is being monitored.
4. Let the State PCB ensure compliance of the directions issued to the industrial unit. The State PCB may also assess and recover compensation for violation of environmental norms, following due process of law.
5. Let further report in the matter be filed before the next date by email at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/ OCR Support PDF and not in the form of Image PDF."

यह कि माननीय अधीकरण द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 04.08.2020 के अनुपालन में क्षेत्रीय कार्यालय उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद द्वारा उद्योग का निरीक्षण एवं अनुश्रवण दिनांक 12.02.2021 को किया गया अद्यतन निरीक्षण दिनांक 09.06.2021 को किया गया।

यह कि उक्त निरीक्षण दिनांक 12.02.2021 एवं 09.06.2021 के दौरान प्रियंका मार्डन स्कूल, धामपुर शुगर मिल्स लिमिटेड शुगर एवं आसवानी इकाई के परिसर की परिवेशीय वायु गणुता का अनुश्रवण किया गया। अनुश्रवण रिपोर्ट के आधार पर परिवेशीय वायु गणुता में Particulate Matter-10 के संबंध मे मान निम्नानुसार पाये गये–

.....2/–

टी. सी. – 12 वी, विभूति खण्ड
गोमतीनगर, लखनऊ-226010
दूरभाष-2720831, 2720828, 2720691, 2720681
फैक्स 0522–2720764 Fax: 0522 – 2720764 ई–मेल- info@uppcb.com
Web Site: www.uppcb.com

T.C. 12 - V, Vibhuti Khand
Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone:2720831,2720828,2720691,2720681
Email: info@uppcb.com वेबसाइट: www.uppcb.com

S.N.	Location	Date of monitoring	PM_{10} ($\mu g/m^3$)	Date of Monitoring	PM_{10} ($\mu g/m^3$)	Date of Monitoring	PM_{10} ($\mu g/m^3$)
1	Priyanka modern School Campus	05.01.2020	197.96	12.02.2021	134.67	09-06-2021	91.98
2	Dhampur Sugar Mills Ltd., Dhampur, Administrative Building	05.01.2020	159.66	12.02.2021	168.84	09-06-2021	94.94
3	Dhampur Sugar Mills Ltd., Dhampur,Near DM Plant	05.01.2020	182.12	12.02.2021	180.38	09-06-2021	97.91
4	Dhampur Sugar Mills Ltd., Dhampur, Distillery ETP	05.01.2020	132.13	12.02.2021	143.9	09-06-2021	97.96
Standards ($\mu g/m^3$)			100		100		100

यह कि उद्योग द्वारा प्रेषित प्रमाणिक अभिलेखों द्वारा सूचित किया गया है कि वर्ष 2020 मे शुगर इकाई का संचालन वर्ष 2019–20 मे 06.11.2019 से 11.06.2020 तक तथा वर्ष 2020–21 मे दिनांक 31. 10.2020 से 30.05.2021 तक किया गया।

यह कि अनुश्रवण दिनांक 12.02.2021 एवं 09.06.2021 की आख्या से परिलक्षित है कि शुगर इकाई का संचालन 30.05.2021 से बन्द किया गया तथा अनुश्रवण दिनांक 09.06.2021 के दौरान शुगर इकाई संचालनरत न रहने पर प्रियंका मार्डन स्कूल, धामपुर शुगर मिल्स लिमिटेड शुगर एवं आसवानी इकाई के परिसर की परिवेशीय वायु गुणता मे Particulate Matter-10 का मान निर्धारित मानक के अनुरूप पाया गया।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0 संख्या 1007/2019 मे पारित आदेश दिनांक 04.08.2020 के अनुपालन हेतु मैसर्स धामपुर शुगर मिल्स लिमिटेड शुगर यूनिट धामपुर बिजनौर के विरूद्ध केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नई दिल्ली द्वारा जारी गाईड लाइन "Levying of Environmental Compensation against Defaulting Industries" के अनुसार शुगर इकाई का संचालन वर्ष 2020 मे अनुश्रवण की दिनांक 05.01.2020 से 11.06.2020 तक दिवस 158 तथा दिनांक 31.10.2020 से 30.05. 2021 तक दिवस 211 अर्थात कुल उल्लंघन दिवस 369 हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति निम्नानुसार आंकलित की जाती है–

EC=PIxNxRxSxLF
PI= 40 (Air Pollution)
N= 369
R=250
S=1.5 (Large Unit)
LF=1
EC= Rs. 55,35,000/- (Rs. Fifty-Five Lakh Thirty-Five Thousand Only)

उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उद्योग मैसर्स धामपुर शुगर मिल्स शुगर यूनिट धामपुर बिजनौर के विरूद्ध रूपये 55,35,000/– की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु नोटिस प्रेषित किया जाता है।

आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त निर्देशों के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करे। निंधारित समयावधि में स्पष्टीकरण प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने की दशा में उक्त निर्देशो की पुष्टी करते हुए उद्योग के विरूद्ध पर्यावरणीय अधिनियमों के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदयित्व स्वंय उद्योग एवं उद्योग स्वामी का होगा।

भवदीय

(अमित चन्द्रा)
मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–7

प्रतिलिपिः क्षेत्रीय अधिकारी उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बिजनौर को इस निर्देश के साथ कि उक्त निर्देशों के क्रम उद्योग का निरीक्षण करते हुए ससमय निरीक्षण आख्या स्पष्ट संस्तुति सहित बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिशिचित करे।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–7

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या H64368 / सी-7/वायु-97/21 दिनांक 12-8-21

पंजीकृत

सेवा में,

उद्योग मैसर्स धामपुर शुगर मिल्स लिमिटेड (शुगर इकाई),
धामपुर, बिजनौर।

विषयः—उद्योग द्वारा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था मानको के अनुरूप न रखे जाने एवं परिवेशीय वायु गुणता का मान निर्धारत मानकों से अधिक पाये जाने के दृष्टिगत उद्योग के विरूद्ध रूपये 55,35,000/— की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के संबंध मे।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड पत्र संख्या एच62604/सी—7/वायु—97/21 दिनांक 22.06.2021 का संदर्भ ले जिसके द्वारा उद्योग के विरूद्ध रूपये 55,35,000/— की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु नोटिस प्रेषित किया गया है, जिसके संबंध मे उद्योग द्वारा अपना प्रत्यावेदन दिनांक 05.07.2021 को बोर्ड मे प्रेषित किया गया।

उक्त नोटिस के क्रम मे क्षेत्रीय कार्यालय उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजनौर के अधिकारियों द्वारा दिनांक 03.08.2021 को उद्योग का निरीक्षण किया गया। उद्योग द्वारा प्रेषित प्रत्यावेदन में वर्णित तथ्य संतोषजनक नही पाया गया है। क्षेत्रीय अधिकारी उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजनौर के पत्र दिनांक 03.08.2021 द्वारा उद्योग पर रूपये 55,35,000/—की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गई है।

क्षेत्रीय अधिकारी उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजनौर द्वारा प्रेषित संस्तुति दिनांक 03.08.2021 को संज्ञान मे रखते हुए सक्षम अधिकारी के अनुमति से उद्योग मैसर्स धामपुर शुगर मिल्स लिमिटेड (शुगर इकाई), धामपुर, बिजनौर के विरूद्ध रूपये 55,35,000/—की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं0—701502010002104 आई0एफ0एस0 कोड—UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

भवदीय

(एन.के. चौहान)
मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त—7

प्रतिलिपिः क्षेत्रीय अधिकारी उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बिजनौर को इस निर्देश के साथ कि उक्त निर्देशों के क्रम मे आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करे।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त—7

टी. सी. – 12 वी, विभूति खण्ड
गोमतीनगर, लखनऊ-226010
दूरभाष-2720831, 2720828, 2720691, 2720681
फैक्स 0522-2720764 Fax: 0522 – 2720764 ई-मेल- info@uppcb.com
Web Site: www.uppcb.com

T.C. 12 V, Vibhuti Khand
Gomti Nagar, Lucknow 226010
Phone:2720831,2720828,2720691,2720681
Email: info@uppcb.com वेबसाइट: www.uppcb.com